RTI Information

उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश

सूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

उद्यान विभाग

<u>सूचना का अधिकार अधिनियम 2005</u>

उपधारा (i) नियम 4 (1) (b) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना ।

(I)

<u>विभाग का संगठनात्मक ढांचा कार्य तथा कर्तव्यों का विवरण</u>

विभाग प्रधान सचिव ;उद्यानद्ध हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रशासनिक नियन्त्रण में कार्य करता है । निदेशक, उद्यान विभाग, विभाग का प्रमुख है तथा उनके साथ अतिरिक्त निदेशक उद्यान, संयुक्त निदेशक उद्यान, परियोजना निदेशक (खुम्ब), उप निदेशक उद्यान, विषय विशेषज्ञ (उद्यान) निदेशालय स्तर पर सहयोग हेतु कार्य करते हैं। विभाग में निम्न विशिष्ट संकाय विशेषज्ञता के आधार पर स्थापित किए गए हैं ।

(i) सामान्य बागवानी

(ii) फल पौध पोषण

(iii) पौध संरक्षण

(iv) विपणन तथा फसलोत्तर प्रबन्धन

(v) फल विधायन व उपयोग

(vi) उद्यान कार्य एवं सांख्यिकी

(vii) उद्यान सूचना सेवा

(viii) खुम्ब विकास

विभाग के मुख्य कार्य निम्न हैं ।

I. सुधरी किस्मों के फल पौधों का उत्पादन एवं वितरण

II. नजदीकी केन्द्र से उद्यान उपकरणों की उचित दर पर आपूर्ति का प्रबन्ध करना ।

III. प्रसार एवं परामर्श सेवाओं का विस्तार

क. किसानों के लिये प्रशिक्षण द्वारा

ख. प्रदर्शन द्वारा

ग. परामर्श भ्रमण द्वारा

घ. साहित्य द्वारा

ड. प्रदर्शनी एवं दृश्य-श्रव्य साधनों द्वारा

च. जनसम्पर्क माध्यमों के द्वारा

IV निदान/तकनीकी सहायता सेवाओं को प्रदान करना

क. फल पौध पोषण प्रयोगशालाओं द्वारा

ख. प्लांट हैल्थ क्लीनिक द्वारा

ग. फसलोत्तर तथा गुण नियन्त्रण प्रयोगशालाओं द्वारा

V.आधारभूत ढांचे की संरचना करना/तैयार करना, जैसे कि

क. फल संतति एवं प्रदर्शन उद्यानों की स्थापना

ख. पुष्पोत्पादन केन्द्र तथा पौधशालाओं की स्थापना

ग. मौनपालन केन्द्रों की स्थापना

घ. जैब प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला की स्थापना

ड. पाश्च्युराइज्ड कम्पोस्ट तथा स्पॉन बीज तैयार करने के लिये सुविधायें प्रदान करना ।

VI <u>अनुषंगी उद्यान गतिविधियों का विकास करना/बढ़ावा देना</u>

क. मौन पालन

ख. खुम्ब उत्पादन

ग. पुष्पोत्पादन

घ. हॉप्स/औषधीय व सुगन्धित पौधों की खेती

VII <u>फसलोत्तर प्रबन्धन द्वारा</u>

क. बाजार आसूचना को एकत्र करना व प्रसारित करना

ख. बाजार का सर्वेक्षण

ग. मण्डी मध्यस्थ योजना एवं समर्थन मूल्य योजनाओं को लागू करना

घ. फल परिरक्षण में प्रशिक्षण

ड. सामुदायिक डिब्बाबन्दी योजना

च. फल विधायन इकाईयों की स्थापना

VIII उद्यान सम्बन्धी आंकड़ों को एकत्रित करना व अनुरक्षण करना

IX <u>निम्न मदों में नियमित नियन्त्रण</u>

क. पौधशाला उत्पादन

ख. कीटनाशक एवं फफूंदनाशक दवाईयों की गुणवत्ता

(II)

विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

➢ निदेशक उद्यान विभाग राज्य में उद्यान विकास की गतिविधियों को सीधे संचालित/नियन्त्रित करते हैं 1 अन्य अधिकारी निदेशक उद्यान विभाग के समग्र नियन्त्रण में अपने-अपने क्षेत्र में कार्यों की देखरेख करते हैं ।

➢ अतिरिक्त निदेशक उद्यान विभाग धर्मशाला जिला कांगड़ा में कार्यरत हैं जो कि राज्य के उत्तरी क्षेत्र जिसमें चम्बा, कांगड़ा, हमीरपुर, कुल्लू, लाहौल स्पीति तथा उना आते हैं, के विकासात्मक कार्यों का निरीक्षण करता है ।

➢ परियोजना निदेशक ;खुम्बद्ध प्रदेश में खुम्ब विकास से सम्बन्धित कार्यों जैसे खुम्ब उत्पादन/विस्तार सेवाएं, प्रदर्शन, उत्पादन तथा कम्पोस्ट खाद व स्पॉन का वितरण इत्यादि की देखरेख एवं प्रबन्धन करता है । उनकी सहायता के लिये खुम्ब विकास अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी कार्यरत हैं ।

➢ संयुक्त निदेशक, उद्यान विभाग ;मुख्यालयद्ध फल विधायन गतिविधियों, सामान्य प्रशासन, ऑडिट व गाड़ियों के नियन्त्रण की देखरेख करता है ।

➢ उप निदेशक उद्यान ;योजनाद्ध आगामी सम्भावनाओं, प्रसार गतिविधियों, प्रशिक्षण, फल संतति एवं प्रदर्शन उद्यानों का रख रखाव, पौधशाला उत्पादन, परियोजना रूपरेखा एवं कार्यान्वयन, बजट व सभी विकासात्मक योजनाओं की देखरेख करता है। इनकी सहायता के लिये सहायक परियोजना अधिकारी/विषय विशेषज्ञ तथा उद्यान विकास अधिकारी निदेशालय में कार्यरत हैं ।

➢ उप निदेशक उद्यान ;सूचनाद्ध बागवानी से सम्बन्धित विषयों का प्रकाशन, तकनीकी साहित्य, पोस्टर, लेख, प्रैस विज्ञप्तियां तथा बागवानी विकास के विविध आयामों/फल फसलों पर रेडियो, दूरदर्शन, किसान मेलों के माध्यम से प्रदर्शनी व शो इत्यादि के द्वारा प्रचार/प्रसार का कार्य करता है । इनकी मदद के लिये उद्यान विकास अधिकारी एवं छायाचित्रण अधिकारी कार्यरत है ।

➢ वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी विभिन्न फफूंदनाशक एवं कीटनाशक दवाईयों व उपकरणों की समय पर वितरण, छिड़काव सारणी तैयार करना,कीडों एवं रोग व्याधियों के महामारी के रूप में प्रकोप होने पर छिड़काव अभियान आयोजित करना, पौधशाला पंजीकरण, प्लांट क्वैरैंटाईन, पौध संरक्षण, से सम्बन्धित नियमों को लागू करना, दवाईयों के अत्याधिक प्रयोग को नियन्त्रित करने के लिये आई.पी.एम. को बढ़ावा देना इत्यादि कार्यकरता है । इनकी सहायता के लिये पौध संरक्षण अधिकारी, पौधशाला पंजीकरण अधिकारी व उद्यान विकास अधिकारी निदेशालय में कार्यरत हैं ।

➢ वरिष्ठ विपणन अधिकारी मण्डी मध्यस्थ योजना की देखरेख व लागू करना, पैकिंग सामान का प्रबन्धन, बाजार आसूचना, मार्किट सर्वे करना, उद्यान उपज को वैज्ञानिक तरीके से ग्रेडिंग, पैकिंग व बाजार भेजने इत्यादि की तकनीकी जानकारी बागवानों तक पहुंचाना इत्यादि कार्य करता है । इनकी

सहायता के लिये सहायक फसलोत्तर क्रिय विज्ञ, सहायक विपणन अधिकारी व उद्यान विकास अधिकारी कार्यरत हैं ।

➢ वरिष्ठ विश्लेषण अधिकारी पत्ती विश्लेषण के आधार पर सामान्य व गुणवत्तायुक्त पैदावार प्राप्त करने के लिये फल बागीचों में उर्वरकों की उचित व संतुलित मात्रा का निर्धारण करता है, निशुल्क फल पौध पोषण परामर्श सेवा प्रदान करता है, विभिन्न उर्वरकों एवं आर्गेनिक खादों की क्षमता निर्धारित करने व जानने के लिये ट्रायल लगाना व पूर्ण जानकारी बागवानों को प्रदान करता है। इनकी सहायता के लिये वरिष्ठ रसायन सहायक, अनुसन्धान सहायक व प्रयोगशाला सहायक कार्यरत हैं ।

➢ उद्यान अर्थशास्त्री सभी विकासात्मक योजनाओं का नियमन, परिवीक्षण, मूल्यांकन करता है, फल पैदावार की तुड़ाई से पहले अनुमान के लिये फील्ड सर्वे करता है, तथा सभी प्रकार के आंकड़ों का एकत्रीकरण ;जैसे कि उत्पादन एवं क्षेत्रफलद्ध तथा संकलन करता है । विभिन्न फल फसलों के लिये उत्पादन कीमत तय करना ;ब्वेज व िबनसजपअंजपवदद्ध वैज्ञानिक ढंग से आंकड़ों के प्रबन्धन एवं सूचना पहुंचाने के लिये आधुनिक संचार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है । इनकी सहायता के लिये अनुसन्धान अधिकारी, सहायक अनुसन्धान अधिकारी कार्यरत हैं ।

➢ फल प्रौद्योग विज्ञ फल व सब्जियों के विधायन के लिये ढांचागत व्यवस्था तैयार करना तथा ग्रामीणों विशेषकर महिलाओं को फल सब्जी का प्रशिक्षण देना तथा सामुदायिक सेवा के अन्तर्गत उपलब्ध स्थानीय फल सब्जियों का विधायन करना है । विभिन्न फल पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित् करने के लिये गुणवत्ता नियन्त्रण नियमों को लागू करना तथा प्राईवेट फल विधायन इकाईयों की स्थापना के लिये तकनीकी परामर्श प्रदान करता है । इनकी सहायता के लिये प्रापण एवं विक्रय अधिकारी, गुण नियन्त्रण अधिकारी, खाद्य जीवाणु विज्ञ, गुण नियन्त्रक निरीक्षक, प्रबन्धक एवं रसायनज्ञ, फल परिरक्षण सहायक कार्यरत हैं।

➢ सहायक पुष्प विज्ञ, पुष्प अनुभाग का कार्य देखता है जिसमें पुष्प पौध का लाना व नए पौधे तैयार करके वितरित करना है । इसके अलावा पुष्पोत्पादकों को प्रशिक्षण उत्पादन, संरक्षण व फसलोत्तर प्रबन्धन की तकनीकों को लोगों तक पहुंचाना है । इनकी सहायता के लिये उद्यान प्रसार अधिकारी व उद्यान विकास अधिकारी कार्यरत हैं ।

➢ प्रशासनिक अधिकारी विभाग के प्रशासनिक कार्यों के लिये निदेशक उद्यान विभाग की सहायता करता है तथा समस्त मामलों/केसों को उच्च्च अधिकारी के समक्ष सही ढंग से रखता है । सक्षम प्राधिकारी के निर्णयों के अनुसार प्रशासन से सम्बन्धित कार्यों का नियमन, मूल्यांकन तथा सरकारी आदेशों का पालन करता है तथा इनकी सहायता के लिये अधीक्षक, वरिष्ठ सहायक व कनिष्ठ सहायक इत्यादि कार्यरत हैं ।

➢ उप निदेशक उद्यान प्रत्येक जिला में कार्यरत है जहां पर वे सभी प्रकार की उद्यान गतिविधियों को समन्वित एवं कार्यान्वित करता है। इनकी सहायता के लिये जिला उद्यान अधिकारी, विषय विशेषज्ञ उद्यान प्रत्येक जिला मुख्यालय में कार्यरत हैं ।

➢ मौन पालन विकास अधिकारी राज्य में मौन पालन गतिविधियों की देखरेख करता है । वह मौन पालन में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग, प्रशिक्षण तथा ग्रामीण युवाओं के लिये अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिये पूर्ण सहायता देना, परागण के लिये मौनवंश उपलब्ध करवाना तथा मधु का विधायन, ग्रेडिंग व एगमार्किंग सुविधा प्रदान करता है ।

➢ उद्यान विकास अधिकारी प्रत्येक विकास खण्ड, जिला स्तर व राज्य स्तर पर मुख्यालय में उद्यान विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये तथा फल उत्पादकों को प्रसार सेवाओं के लिये कार्यरत हैं । उनकी सहायता के लिये उद्यान प्रसार अधिकारी लगाए गए हैं जो कि ग्रास रूट लैवल पर कार्य कर रहे हैं ।

(III)

निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, निरीक्षण एवं उत्तरदायित्व के माध्यम सहित ।

अंक ;ण्ण्द्ध में दर्शाई गई शक्तियों एवं कर्तव्यों के आधार पर नामोदिदष्ट अधिकारी अपने-अपने कार्यभार एवं कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित मामले अपने स्तर पर हल करते हैं तथा जो निर्णय उनकी शक्तियों के दायरे में नहीं आते उन्हें निदेशक उद्यान विभाग को प्रस्तुत किया जाता है तथा जो निर्णय सरकार द्वारा लिये जाने हैं उन्हें निदेशक उद्यान विभाग के माध्यम से सरकार को भेजा जाता है । नामोदिदष्ट अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में निरीक्षण की शक्तियां रखते हैं तथा अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी हैं ।

(IV)

विभाग द्वारा कार्य निष्पादन के लिये तय किए मानक

विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं को मार्गदर्शिका के आधार पर तय मानकों के आधार पर कार्यान्वित किया जाता है । निदेशालय फील्ड अफसरों को विभाग द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को आबंटित करता है । इन भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों की समीक्षा समय-समय पर विभाग द्वारा निदेशालय स्तर पर की जाती है । सरकार द्वारा प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा त्रैमासिक एवं वार्षिक की जाती है ।

(V)

विभाग द्वारा कार्य निष्पादन के लिये प्रयुक्त किए जाने वाले नियम, एक्ट, निर्देश, मैनुअल, रिकार्ड इत्यादि का ब्यौरा ।

1. पौधशाला एक्ट
2. फल पौधों का मूल्यांकन
3. एफ. आर. एस. आर
4. सी.सी. एस. व सी. सी. ए. रूल
5. जी. पी. एफ. रूल
6. पैन्शन रूल
7. एच.पी.एफ.आर. रूल

8. मैडिकल अटेंडेंस रूल

9. एच. वी. एडवांस रूल

10. टी. ए. रूल

11. बजट मैन्युल

12. डैलिगेशन ऑफ फाईनाईशियल पावर रूल

13. ऑफिस मैन्युल

14. कीटनाशी अधिनियम 1968

(VI)

विभाग द्वारा नियन्त्रित दस्तावेजों की सूची

विभाग द्वारा आम जनता एवं किसानों के फायदे के लिये उद्यान एवं इससे सम्वद्ध विषयों पर बहुत से प्रकाशन प्रकाशित किए हैं जो कि निम्न हैं ।

Publication in English (Free Publication)

1. Hortivision 2020- National Seminar on Himalayan Horticulture
2. Delicious Apples from Himachal Pradesh. The Apple State of India .
3. Himachal Plums
4. Luscious peaches from Himachal pradesh
5. Litchi for export from Himachal pradesh
6. Citrus fruits from Himachal pradesh
7. Nutritive Mushrooms from Himachal Pradesh
8. Hops from H.P.
9. Fruits & vegetable processing in Himachal Pradesh
10. Himalyan Honey-A real gift of nature from H.P.

11. Flowers from H.P.

12. Gladiolus

13. Cultivation of chrysanthemum

14. Cultivation of Carnation

15. Marigold

16. Oriental and Asiatic lilium

17. Establishment of Green Houses

18. Himachal Horticulture at a Glance

19. Leaf Analysis Service in H.P.

20. Spray Schedule 2008 (Apple)

21. Operational Guidelines-Centrally Sponsored Schemes

Technology Mission for Integrated Development of Horticulture in H.P.

Priced Publications

1. **Grading & Packing of Apples by Harbans Singh & H.L. Kochar**
2. Fertilizing Fruit Crops in H.P. by Dr. K.C. Azad & Dr. R.P. Sharma
3. Evaluation Criteria of fruit trees in H.P.
4. Cold Storage of Apples by S. Harbans Singh.

निशुल्क वितरण हेतु प्रकाशन (हिन्दी के प्रकाशन)

प्रसार पुस्तिकायें

1. सेब की बागवानी

3. सेब के स्पर किस्म के पौधों की उपयोगिता एवं महत्व

4. आम की बागवानी

5. लीची की बागवानी

6. नीम्बू प्रजाति के फलों की बागवानी

7. हिमाचल प्रदेश में जैतून की बागवानी

8. हिमाचल प्रदेश में चैरी की बागवानी

9. हिमाचल प्रदेश में शुष्क गिरीदार फलों की बागवानी

10. कीवी की बागवानी

11. स्ट्राबैरी की बागवानी

12. अखरोट की बागवानी

13.हिमाचल प्रदेश में अंगूर की बागवानी

14.पपीता उगाईये

15 व्यावसायिक पुष्प उत्पादन

16 हिमाचल प्रदेश में गलैडियोलस की व्यावसायिक खेती

17 कार्नेशन की खेती (अंग्रेजी)

18 गेंदा की खेती ;अंग्रेजीद्ध

19 लिलियम की खेती ;अंग्रेजीद्ध

20 गुलदाउदी की खेती ;अंग्रेजीद्ध

21 हरित गृहों की स्थापना ;अंग्रेजी व हिन्दीद्ध

22 हिमाचल प्रदेश में आधुनिक मौनपालन

23 हिमाचल प्रदेश में फलों की परिपक्व अवस्था तुड़ाई छंटाई व भराई

24. गुठलीदार फलों की तुड़ाई छंटाई तथा भराई एवं विपणन

25 घरेलू स्तर पर सेब से बने फल पदार्थ

26 घरेलू स्तर पर आचार कैसे बनायें

27 घरेलू स्तर पर मुरब्बे एवं कैण्डी

28 घरेलू स्तर पर फल पदार्थ कैसे बनायें

29 घरेलू स्तर पर आम से बने पदार्थ

30 घरेलू स्तर पर टमाटर से बने फल पदार्थ

31 नीम्बू प्रजाति से बने फल पदार्थ

32 सामुदायिक डिब्बाबन्दी सेवा

33 हिमाचल प्रदेश में पत्ती विश्लेषण सेवा

34 नीम्बू प्रजाति के फलों मे उर्वरकों का उपयोग

35 पौध संरक्षण दवाईयों का उपयोग-आवश्यक सावधानियां एवं सतर्कता

36 उद्यान विकास-तथ्य एवं आंकड़े

37. हिमाचल प्रदेश में उद्यान विकास हेतु सहायता एवं सुविधायें

Priced Publications

1. स्वरोजगार हेतु फल-सब्जियों पर आधारित उद्योग-मार्गदर्शन

-डा0 आर0 पी0 शर्मा एवं डा0 आर0 सी0 शर्मा

2. हिमाचल प्रदेश में आधुनिक मौन पालन

-डा0 आर0 पी0 शर्मा एवं एम0 डी0 भारद्वाज

3. घरेलू स्तर पर फल सब्जियों का परिरक्षण

द्वारा डा0 आर0 पी0 शर्मा एवं डा0 आर0 सी0 शर्मा

4. हिमाचल प्रदेश में कीवी फल की बागवानी

डा0 जगमोहन सिंह एवं कमलशील नेगी

<u>प्रसार पत्रक</u>

1. सेब के पौधों का पिंक कैंकर रोग
2. सेब का क्राउन गाल, हेयरी रूट रोग
3. सेब का कीट रूईदार तेला ;वूली एफिडद्ध
4. जड़ छेदक रोग ;रूट बोररद्ध
5. सेब का हानिकारक कीट ;सैंजोज़ स्केलद्ध
6. आम का गुच्छा ;माल फारमेशनद्ध रोग
7. नीम्बू प्रजाति का पत्ती छेदक ;लीफ माईनरद्ध
8. शीतोष्ण फलों के वायरस रोग-लक्ष्ण एवं उपचार
9. सेब के रोगों एवं कीटों की रोकथाम हेतु छिड़काव सारणी
10. आम, नीम्बू प्रजाति के फल, लीची बादाम एवं गुठलीदार फलों की छिड़काव सारणी
11. शहद-एक संजीवनी
12. पंजीकृत पौधशालाओं से लाभ उठायें
13. बागीचों में रेखांकन की विधियां

(VII)

के अन्तर्गत सूचना विभाग से सम्बन्धित नहीं है ।

(VIII)

<u>विभाग द्वारा गठित बोर्ड, कांउसिल, कमेटी इत्यादि का विवरण</u>

1. Spray Schedule Committee consisting of 14 members.
2. State High Level Purchase Committee for purchase of plant protection material and equipments consisting of nine members.

3. Beekeeping Advisory Committee for solving the various problems regarding migration, management practices, disposal of honey and other allied problems consisting of eight officials and four non-officials members.

4. State Level Steering Committee for implementation of Centrally Sponsored Schemes on technology mission for Integrated Development of orticulture in H.P consisting of twenty-five members.

5. District Level Coordination Committee for implementation of Centrally Sponsored Scheme on technology mission for integrated development of horticulture in H.P. consisting of ten members.

(IX)

विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सम्पर्क टैलिफोन नम्बर

क्रसं.	कार्यालय का नाम पता	फोन नम्बर	फैक्स नम्बर
	राज्य मुख्यालय		
1.	निदेशक उद्यान विभाग, हि0 प्र0 शिमला	0177-2842390	0177-2842389
2.	संयुक्त निदेशक उद्यान, हि0 प्र0, शिमला	0177-2841309	0177-2841309
3.	परियोजना निदेशक खुम्ब, हि0 प्र0 शिमला	0177-2841339	-
4.	उप निदेशक उद्यान (योजना) हि0 प्र0शिमला	0177-2841199	0177-2841199
5.	उप निदेशक उद्यान (सूचना) हि0 प्र0शिमला	0177-2842773	0177-2842360
6.	उद्यान अर्थशास्त्री, हि0 प्र0 शिमला-2	0177-2842147	0177-2842389
7.	ई.पी.वी.ए. एक्स नम्बर	0177-2842773, 2842147	-
	उद्यान एवं अन्य गतिविधियां		
1.	अतिरिक्त निदेशक उद्यान, धर्मशाला	01892-222365	01892-222365
2.	उप निदेशक उद्यान, जिला कांगड़ा	01892-228687	01892-223183
3.	जिला उद्यान अधिकारी, कांगड़ा	01892-223183	01892-223183
4.	उप निदेशक उद्यान, कुल्लू	01902-222407	01902-222407
5.	जिला उद्यान अधिकारी कुल्लू	01902-222479	01902-222407
6.	उप निदेशक उद्यान हमीरपुर	01972-224757	01972-224757
7.	जिला उद्यान अधिकारी हमीरपुर	01972-224757	01972-224757

8.	उप निदेशक उद्यान उना	01975-223235	01975-223235
9.	जिला उद्यान अधिकारी उना	01975-223235	01975-223235
10.	उप निदेशक उद्यान चम्बा	01899-222845	01899-222845
11.	जिला उद्यान अधिकारी चम्बा	01899-222339	01899-222845
12.	उप निदेशक उद्यान केलांग जिला लाहौल स्पीति	01900-222250	-
13.	उप निदेशक उद्यान शिमला	0177-2841647	0177-2844069
14.	जिला उद्यान अधिकारी शिमला	0177-2841647	0177-2844069
15.	उप निदेशक उद्यान सोलन	01792-230741	01792-230741
16.	जिला उद्यान अधिकारी सोलन	01792-230741	01792-230741
17.	उप निदेशक उद्यान नाहन जिला सिरमौर	01702-222407	01702-222407
18.	जिला उद्यान अधिकारी नाहन जिला सिरमौर	01702-222407	01702-222407
19.	उप निदेशक उद्यान मण्डी	01905-236095	01905-236095
20.	जिला उद्यान अधिकारी मण्डी	01905-236095	01905-236095
21.	उप निदेशक उद्यान बिलासपुर	01978-222363	01978-222363
22.	जिला उद्यान अधिकारी बिलासपुर	01978-222363	01978-222363
23.	उप निदेशक उद्यान किन्नौर	01786-222362	01786-222362
24.	जिला उद्यान अधिकारी किन्नौर	01786-222362	01786-222362
25.	विषय विशेषज्ञ उद्यान, राजगढ़, सिरमौर	01799-221033	01799-221033
26.	विषय विशेषज्ञ उद्यान, काजा, लाहौलस्पीति	01906-223355	01799-221033
27.	विषय विशेषज्ञ उद्यान, पांगी, जिला चम्बा	01897-222215	01897-222215
28.	विषय विशेषज्ञ उद्यान, भरमौर जिला चम्बा	01895-225038	01895-225038
29.	विषय विशेषज्ञ उद्यान, रामपुर, जिला शिमला	01782-234557	01782-234557
30.	विषय विशेषज्ञ उद्यान, आनी जिला कुल्लू	01904-253409	01904-253409
31.	प्रबन्धक एवं रसायनज्ञ, राजपुरा जि0 चम्बा		
32.	प्रबन्धक एवं रसायनज्ञ, निहाल, जि0बिलासपुर	01978-222345	
33.	प्रबन्धक एवं रसायनज्ञ,राजगढ़ जि0 सिरमौर	01799-221014	
	खुम्ब निकाय		
1.	खुम्ब विकास अधिकारी चम्बाघाट,जि0 सोलन	01792-230768 01792-230769	01792-230741
2.	विषय विशेषज्ञ उद्यान, पालमपुर	01894-231320	01894-231320
3.	सहायक परियोजना अधिकारी खुम्ब, बजौरा जिला कुल्लू	01902-265154	01902-265154
	मधुमक्खी निकाय		
1.	मौनपालन विकास अधिकारी शिमला	0177-2841647	0177-2844069
2.	मौनपालन विकास अधिकारी, कांगड़ा	01892-265070	01892-265070
	फल पौध पोषण		
1.	वरिष्ठ विश्लेषण अधिकारी, नवबहार,शिमला	0177-2842773 Ext.109	0177-2842389

2.	सहायक विश्लेषण अधिकारी धर्मशाला जिला कांगड़ा	–	–
	उद्यान विपणन		
1.	वरिष्ठ विपणन अधिकारी शिमला	0177–2841360	0177–2841360
	पुष्प निकाय		
1.	सहायक पुष्प विज्ञ, नवबहार शिमला	0177–2842147 Ext.115	0177–2841199
	फल विधायन		
1.	फल प्रौद्योग विज्ञ, शिमला	0177–2842773 Ext.105	0177–2841309
2.	फल प्रौद्योग विज्ञ, नगरोटा वगवां,कांगड़ा	01892–252291	01892–252291
3.	फल प्रौद्योग विज्ञ, धौलाकुआं, सिरमौर	01704–257427	–
4.	फल प्रौद्योग विज्ञ, शमशी, जिला कुल्लू	01902–260093	–
5.	फल प्रौद्योग विज्ञ, किन्नौर	01786–222289	01786–222362
	पौध संरक्षण		
1.	वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी शिमला	0177–2842773 Ext. 305	0177–2842389

(X)

<u>विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतनमानों का विवरण ।</u>

क्र0 सं0	श्रेणी/पदनाम	वेतनमान 1.1. 1996
	श्रेणी–1	
1.	निदेशक उद्यान विभाग	18600–22100
2.	अतिरिक्त निदेशक उद्यान	14300–18600
3.	संयुक्त निदेशक उद्यान विभाग	13500–16800
4.	परियोजना निदेशक खुम्ब	13500–16800
5.	प्रशासनिक अधिकारी	7880–11660
6.	उद्यान अर्थशास्त्री	10025–15100
7.	वरिष्ठ विपणन अधिकारी, वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी, वरिष्ठ विश्लेषण अधिकारी, फल प्रौद्योग विज्ञ, उप निदेशक उद्यान, जिला उद्यान अधिकारी,	

	सहायक परियोजना अधिकारी, खुम्ब विकास अधिकारी, विषय विशेषज्ञ उद्यान, पौध संरक्षण अधिकारी, पौधशाला निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण अधिकारी, मौनपालन विकास अधिकरी, सहायक फसलोत्तर क्रिय विज्ञ, सहायक विपणन अधिकारी, सहायक विश्लेषण अधिकारी, गुण नियन्त्रण अधिकारी, प्रापण एवं विक्रय अधिकारी, खाद्य जीवाणु विज्ञ, सहायक पुष्प विज्ञ, निजी सचिव, अनुसन्धान अधिकारी, अधीक्षक ग्रेड-1, सहायक नियन्त्रक, उद्यान विकास अधिकारी, प्रबन्धक एवं रसायनज्ञ, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, गुण नियन्त्रण निरीक्षक,फल परिरक्षण सहायक	7220-11660
	श्रेणी-11	
8.	छायाचित्रण अधिकारी	7000-11660
9.	अनुभाग अधिकारी, अधीक्षक ग्रेड-11, निजी सहायक, विधि सहायक, सहायक अनुसन्धान अधिकारी	6400-10640
	श्रेणी-111	
10.	अन्वेषक, सांख्यिकी सहायक, वरिष्ठ सहायक,वरिष्ठ आशुलिपिक	5800-9200
11.	फोरमैन	5480-8925
12.	छायाचित्रकार, पुस्तकालयध्यक्ष	5000-8100
13.	कनिष्ठ आशुलिपिक	4400-7000
14.	उद्यान प्रसार अधिकारी, क्षेत्रीय अन्वेषक, प्रदर्शक,	4020-6200
15.	वरिष्ठ वॉयलर सहायक	4020-6400
16.	चालक,	3330-6200
17.	आशुटंकक	3330-6200
18	कम्पूटर, वॉयलर सहायक, प्रयोगशाला सहायक, मकैनिक, प्रौजैक्ट आप्रेटर, बीकीपर, लिपिक	3120-5160
19.	ग्लास वलोअर, कनिष्ठ सहायक	4020-6200
	श्रेणी-प्ट	
20.	चपड़ासी, चौकीदार, बेलदार, माली, फील्डमैन, कलीनर, स्वीपर	2520-4140
21.	मुख्यमाली, दक्षमाली, गेस्टेटनर आप्रेटर	2820-4400

(XI)

<u>बजट आबंटन :-</u>

वर्ष 1970-71 में उद्यान विभाग की स्थापना के समय विभाग का योजित तथा गैर योजित स्कीमों का बजट 70.50 लाख रूपये था लेकिन जैसे-जैसे उद्यान विभाग की तकनीकी एवं अन्य क्षेत्रों में कार्य की वृद्धि हुई उसी प्रकार आवश्यकतानुसार बजट राशि में भी वृद्धि होती गई । विभाग के हर क्षेत्र में सामूहिक विकास हेतु विभागीय बजट को मुख्यतः चार खण्डों में विभाजित किया गया था लेकिन सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से वित्तीय संस्थाओं में बजट उपलब्ध करवाना बन्द कर दिया है इसलिये विभाग की

तकनीकी गतिविधियों को केवल तीन भागों में बांटा गया है । 1. फसल कृषि कर्म 2. शिक्षा एवं अनुसन्धान 3. विपणन एवं गुण नियन्त्रण स्कीम । वित्तीय वर्ष 2007-08 में उद्यान विभाग के पास कुल 8585.40 लाख रूपये बजट राशि का प्रावधान था । शीर्ष सहित विवरण निम्न प्रकार से दर्शाया गया है :-

बजट लाख रूपयों में

		<u>फसल कृषि कार्य</u>				

		शिक्षा एवं अनुसन्धान कार्य				
		विपणन एवं गुण नियन्त्रण स्कीम				

		<u>क्रेन्द्रीय प्रायोजित स्कीम</u>				
	<u>5. विशेष केन्द्रीय सहायता</u>					
	6. मुख्य निमार्ण कार्य–					

	7. पूंजीगत परिव्यय					
	8. निगमों को ऋण					

आय वर्ष 2007-08 में विभाग के पास 313.50 लाख रूपयों की आय का लक्ष्य था । इस लक्ष्य के अन्तर्गत विभाग को मु0 140.02 लाख रूपये की आय विभागीय शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त हो चुकी है ।

विभिन्न स्त्रोतों से आय का विवरण

	रूपये लाखों में	
फल विधायन केन्द्रों से आय	30.09	
वनस्पति उद्यानों से आय	83.06	
शहद से आय		3.86
खुम्ब खाद से आय		8.66
06-दवाईयों/उपकरणों की हैण्डलिंग चार्जिज से आय	0.87	
अधिक अदायगी से प्राप्तियां	0.18	
विविध आय		13.30
कुल जोड़	140.02	

(XII)

अनुदान योजनाओं के कार्यान्वयन का तरीका, बजट आवंटन तथा लाभार्थियों का ब्यौरा ।

विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बागवानी को वैज्ञानिक ढंग से अपनाने हेतु बहुत सी सुविधाएं एवं सहायताएं दी जा रही हैं जिनका ब्यौरा निम्न है ।

राज्य स्तरीय योजनायें

क. उद्यान उपकरणों पर अनुदान-25 प्रतिशत-लघु किसान, 33 प्रतिशतसीमान्त किसान

तथा 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति व जनजाति, पिछड़ा क्षेत्र किसान ।

ख. नाशीकीटमार दवाईयों पर अनुदान

50 प्रतिशत-लघु किसान व सीमान्त

30 प्रतिशत-बड़े किसान

ग. खुम्ब उत्पादन के लिये खुम्ब कम्पोस्ट परः-

25 प्रतिशत तथा अधिकतम 20 रूपये प्रति ट्रे-लघु एवं सीमान्त बेरोजगार

नौजवान तथा रूपये 40/-प्रति ट्रे, अनुसूचित जाति, जनजाति/आई.आर.डी.पी. ।

इसके अलावा उपरोक्त किसानों को उनके घर तक कम्पोस्ट खाद ले जाने हेतु परिवहन पर 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है ।

घ. कौरूगेटिड फाईवर बोर्ड पर फलों की पैकिंग के लिये रूपये 2/-रूपये प्रति कार्टन उपदान ।

च. विभागीय विक्रय केन्द्रों तक उद्यान उपकरणों एवं दवाईयां पहुंचाने हेतु मुफत परिवहन व्यय का प्रावधान है ।

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

हिमाचल प्रदेश में समन्वयक बागवानी विकास हेतु बागवानी तकनीकी मिशन योजना कार्यान्वित की जा रही है विस्तृत विवरण अध्याय-6 पर देखें ।

(XIII)

विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत कोई भी अतिरिक्त छूट तथा अधिकार नहीं दिए जाते हैं । विभाग पौध रोपण सामग्री को विदेशों से आयात करने के लिये बागवानों का पंजीकरण करता है ।

;गपअ्द्ध विभाग द्वारा इलैक्ट्रॉनिक फार्म में परिवर्तित की गई सूचना जोकि विभाग द्वारा संकलित है या उपलब्ध है । विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी, अनुदान का ब्यौरा एवं सुविधाएं इत्यादि विभागीय वैवसाईट ूणीचीवतजपबनसजनतम दपबण्बवउ पर उपलब्ध है ।

;गअ्द्ध विभाग द्वारा संचालित पुस्तकालय अथवा अध्ययन कक्ष इत्यादि जहां से आम आदमी सुविधाओं से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर सकता है, का विवरण विभाग से सम्बन्धित जानकारी एवं अन्य साहित्यिक तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिये 2 विभागीय पुस्तकालय शिमला तथा धर्मशाला में स्थापित किए गए हैं जिनका समय सारणी प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक है ।

(xvi) विभागीय जनसूचना अधिकारियों का नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण

राज्यस्तरीय

क्र. सं.	अपील प्राधिकारी, जनसूचना अधिकारी व सहायक जनसूचना अधिकारी का पदनाम तथा कार्यालय पता	अधिकार क्षेत्र	ई-मेल पता
1.	निदेशक उद्यान विभाग, नवबहार, शिमला-2 (अपील प्राधिकारी)	सम्पूर्ण राज्य	horticul-hp @ nic.in

2.	संयुक्त निदेशक उद्यान विभाग, नवबहार, शिमला–2 (जनसूचना अधिकारी)	सम्पूर्ण राज्य	horticul-hp @ nic.in
3.	उप निदेशक उद्यान ;सूचनाद्ध नवबहार, शिमला–2 (सहायक जनसूचना अधिकारी)	सम्पूर्ण राज्य	horticul-hp @ nic.in

जिला स्तरीय– जिला शिमला

1.	उप निदेशक उद्यान, जिला शिमला (जनसूचना अधिकारी)	जिला शिमला	–
2.	जिला उद्यान अधिकरी, शिमला जिला शिमला (सहायक जनसूचना अधिकारी)	जिला शिमला	–

जिला सोलन

1.	उप निदेशक उद्यान,सोलन, जिला सोलन (जनसूचना अधिकारी)	जिला सोलन	–
2.	जिला उद्यान अधिकरी, सोलन जिला सोलन (सहायक जनसूचना अधिकारी)	जिला सोलन	–

जिला सिरमौर

1.	उप निदेशक उद्यान, सिरमौर जिला सिरमौर नाहन (जनसूचना अधिकारी)	जिला सिरमौर	–
2.	जिला उद्यान अधिकरी, सिरमौर जिला सिरमौर नाहन (सहायक जनसूचना अधिकारी)	जिला सिरमौर	–

जिला कांगड़ा

1.	उप निदेशक उद्यान, कांगड़ा स्थित धर्मशाला (जनसूचना अधिकारी)	जिला कांगड़ा	–
2.	जिला उद्यान अधिकरी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला (सहायक जनसूचना अधिकारी)	जिला कांगड़ा	–

जिला हमीरपुर

1.	उप निदेशक उद्यान, हमीरपुर, जिला हमीरपुर (जनसूचना अधिकारी)	जिला हमीरपुर	–
2.	जिला उद्यान अधिकरी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर (सहायक जनसूचना अधिकारी)	जिला हमीरपुर	–

जिला उना

1.	उप निदेशक उद्यान, उना, जिला उना (जनसूचना अधिकारी)	जिला उना	–
2.	जिला उद्यान अधिकरी, उना जिला उना ;सहायक (जनसूचना अधिकारी)	जिला उना	–

जिला बिलासपुर

1.	उप निदेशक उद्यान, बिलासपुर जिला बिलासपुर (जनसूचना अधिकारी)	जिला बिलासपुर	–
2.	जिला उद्यान अधिकरी, बिलासपुर जिला बिलासपुर (सहायक जनसूचना अधिकारी)	जिला बिलासपुर	–

जिला मण्डी

1.	उप निदेशक उद्यान, मण्डी जिला, मण्डी जनसूचना ;अधिकारीद्ध	जिला मण्डी	–
2.	जिला उद्यान अधिकरी, मण्डी जिला मण्डी (सहायक जनसूचना अधिकारी)	जिला मण्डी	–

जिला कुल्लू

1.	उप निदेशक उद्यान, कुल्लू, जिला कुल्लू (जनसूचना अधिकारी)	जिला कुल्लू	–

2.	जिला उद्यान अधिकरी, कुल्लू जिला कुल्लू शिमला (सहायक जनसूचना अधिकारी)	जिला कुल्लू	–

जिला किन्नौर

1.	उप निदेशक उद्यान, किन्नौर जिला किन्नौर (जनसूचना अधिकारी)	जिला किन्नौर	–
2.	जिला उद्यान अधिकरी, किन्नौर, जिला किन्नौर (सहायक जनसूचना अधिकारी)	जिला किन्नौर	–

जिला चम्बा

1.	उप निदेशक उद्यान, चम्बा, जिला चम्बा (जनसूचना अधिकारी)	जिला चम्बा	–
2.	जिला उद्यान अधिकरी, चम्बा शिमला चम्बा शिमला (सहायक जनसूचना अधिकारी)	जिला चम्बा	–

जिला लाहौल स्पीति

1.	उप निदेशक उद्यान, केलांग, जिला लाहौलस्पीति (जनसूचना अधिकारी)	जिला लाहौल-स्पीति	–
2.	उद्यान विकास अधिकरी,केलांग, जिला लाहौल स्पीति (सहायक जनसूचना अधिकारी)	जिला लाहौल- स्पीति	–

(XVII)

विभाग के बारे में सामान्य जानकारी

उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश एक उन्नत हिमाचल के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुये बागवानी को वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित करके तथा प्राकृतिक साधनों का उपयोग करके कृषि के विकास में निरन्तरता बनाए रखने के लिये प्रयासरत है ।

विभाग 21 सितम्बर 1970 को अस्तित्व में आया । बागवानी के विकास के लिये राज्य सरकार की नीतियों तथा किसानों के द्वारा उनको अपनाए जाने के फलस्वरूप ही हिमाचल प्रदेश में बागवानी उद्योग को रूपान्तरित कर दिया है । राज्य ने देश में सेब राज्य के रूप में विशिष्ट स्थान हासिल किया है तथा अब भारत के फल राज्य बनने की ओर अग्रसर है ।

हमारा लक्ष्य

वैज्ञानिक तरीके से बागवानी विकास द्वारा स्मृद्व हिमाचल

हमारा उद्देश्य

बागवानी को वैज्ञानिक, तकनीकी व व्यवसाय के रूप में विकसित करने के लिये ढांचागत संरचना का सृजन जैसेकि अनुसन्धान और विकास, प्रसार कार्य, फसलोत्तर प्रबन्धन जिसमें कि विधायन और उत्पादन सहायता सेवाओं को प्रदान करना तथा हिमाचल प्रदेश में बागवानी के स्तर के सतत विकास के लिये किसानों को प्रोत्साहन देना इत्यादि शामिल है ।

हमारा अधिदेश

1. परम्परागत खेती तकनीक को विविधता प्रदान करना जोकि अधिक आमदनी वाली फसलों जैसेकि फल, पुष्प, खुम्ब, औषधीय पौधे, हॉप्स इत्यादि को बढ़ावा देकर व्यापारिक एवं बाजार के अनुरूप बनाना ।

2. राज्य के कृषि जलवायु के आधार पर पर्यावरण मित्र फसलों, कृषि तकनीकों को बढ़ावा देकर उपलबध संसाधनों का भरपूर उपयोग करना ।

3. कृषि आमदनी व रोजगार के अवसरों को सुधारने के लिये ढांचागत सेवाओं, सुविधाओं तथा माहौल का सृजन करना जिसके द्वारा उत्पादन को बढ़ावा देना, गुणात्मक उत्पादन पर बल देना शामिल है ।

4. राज्य की बागवानी सम्भावनाओं के दोहन के लिये विज्ञान व तकनीक का पूर्ण उपयोग ताकि फार्म स्तर पर विकास व अपनाने हेतु उत्तम तकनीक का विकास किया जा सके ।

5. किसानों, बागवानों तथा किसानों के संगठनों के सहयोग से बागवानी उद्देश्य के विकास के लिये योजनाएं तैयार करना व उनका क्रियान्वयन करना ।

विभागीय जनसूचना अधिकारियों का नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण

राज्यस्तरीय

क्र. सं.	अपील प्राधिकारी, जनसूचना अधिकारी व सहायक जनसूचना अधिकारी का पदनाम तथा कार्यालय पता	अधिकार क्षेत्र	दूरभाष	ई-मेल पता
1.	निदेशक उद्यान विभाग, नवबहार, शिमला-2 (अपील प्राधिकारी)	सम्पूर्ण राज्य	0177 2842390 फैक्स 2842389	horticul-hp @ nic.in

2.	संयुक्त निदेशक उद्यान विभाग, नवबहार, शिमला-2 (जनसूचना अधिकारी)	सम्पूर्ण राज्य	0177 2841309 Fax 2841309	horticul-hp @ nic.in
3.	उप निदेशक उद्यान ;सूचनाद्ध नवबहार, शिमला-2 (सहायक जनसूचना अधिकारी)	सम्पूर्ण राज्य	0177 2842773 Fax 2841360	horticul-hp @ nic.in

<u>जिला स्तरीय- जिला शिमला</u>

1.	उप निदेशक उद्यान, जिला शिमला (जनसूचना अधिकारी)	जिला शिमला	0177 2841647 Fax 2844069	–
2.	जिला उद्यान अधिकरी, शिमला जिला शिमला (सहायक जनसूचना अधिकारी)	जिला शिमला	0177 2841647 Fax 2844069	–

जिला सोलन

1.	उप निदेशक उद्यान,सोलन, जिला सोलन (जनसूचना अधिकारी)	जिला सोलन	01792 230741 Fax 230741	–
2.	जिला उद्यान अधिकरी, सोलन जिला सोलन ;सहायक जनसूचना अधिकारीद्ध	जिला सोलन	01792 230741 Fax 230741	–

<u>जिला सिरमौर</u>

1.	उप निदेशक उद्यान, सिरमौर जिला सिरमौर नाहन (जनसूचना अधिकारी)	जिला सिरमौर	01702 222407	–

			Fax 222407	
2.	जिला उद्यान अधिकरी, सिरमौर जिला सिरमौर नाहन (सहायक जनसूचना अधिकारी)	जिला सिरमौर	01702 222407 Fax 222407	–

जिला कांगड़ा

1.	उप निदेशक उद्यान, कांगड़ा स्थित धर्मशाला (जनसूचना अधिकारी)	जिला कांगड़ा	01892 228687 Fax 223183	–
2.	जिला उद्यान अधिकरी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला (सहायक जनसूचना अधिकारी)	जिला कांगड़ा	01892 223183 Fax 223183	–

जिला हमीरपुर

1.	उप निदेशक उद्यान, हमीरपुर, जिला हमीरपुर (जनसूचना अधिकारी)	जिला हमीरपुर	01972 224757 Fax 224757	–
2.	जिला उद्यान अधिकरी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर (सहायक जनसूचना अधिकारी)	जिला हमीरपुर	01972 224757 Fax 224757	–

जिला उना

1.	उप निदेशक उद्यान, उना, जिला उना (जनसूचना अधिकारी)	जिला उना	01975 223235 Fax 223235	–
2.	जिला उद्यान अधिकरी, उना जिला उना (सहायक	जिला उना	01975	–

	;जनसूचना अधिकारी)		223235 Fax 223235	

जिला बिलासपुर

1.	उप निदेशक उद्यान, बिलासपुर जिला बिलासपुर (जनसूचना अधिकारी)	जिला बिलासपुर	01978 222363 Fax 222363	–
2.	जिला उद्यान अधिकरी, बिलासपुर जिला बिलासपुर (सहायक जनसूचना अधिकारी)	जिला बिलासपुर	01978 222363 Fax 222363	–

जिला मण्डी

1.	उप निदेशक उद्यान, मण्डी जिला, मण्डी (जनसूचना अधिकारी)	जिला मण्डी	01905 236095 Fax 236095	–
2.	जिला उद्यान अधिकरी, मण्डी जिला मण्डी (सहायक जनसूचना अधिकारी)	जिला मण्डी	01905 236095 Fax 236095	–

जिला कुल्लू

1.	उप निदेशक उद्यान, कुल्लू, जिला कुल्लू (जनसूचना अधिकारी)	जिला कुल्लू	01902 222407 Fax 222407	–
2.	जिला उद्यान अधिकरी, कुल्लू जिला कुल्लू (सहायक जनसूचना अधिकारी)	जिला कुल्लू	01902 222479 Fax 222407	–

जिला किन्नौर

1.	उप निदेशक उद्यान, किन्नौर जिला किन्नौर (जनसूचना अधिकारी)	जिला किन्नौर	01786 222362 Fax 222362	–
2.	जिला उद्यान अधिकरी, किन्नौर, जिला किन्नौर (सहायक जनसूचना अधिकारी)	जिला किन्नौर	01786 222362 Fax 222362	–

जिला चम्बा

1.	उप निदेशक उद्यान, चम्बा, जिला चम्बा (जनसूचना अधिकारी)	जिला चम्बा	01899 222845 Fax 222845	–
2.	जिला उद्यान अधिकरी, चम्बा शिमला चम्बा शिमला (सहायक जनसूचना अधिकारी)	जिला चम्बा	01899 222339 Fax 222845	–

जिला लाहौल स्पीति

1.	उप निदेशक उद्यान, केलांग, जिला लाहौलस्पीति (जनसूचना अधिकारी)	जिला लाहौल-स्पीति	01900 222250	–
2.	उद्यान विकास अधिकरी,केलांग, जिला लाहौल स्पीति (सहायक जनसूचना अधिकारी)	जिला लाहौल- स्पीति	01900 222250	–

<u>Orchards and Nurseries</u>

1 **<u>Progeny cum Demonstration Orchards & Fruit Nurseries of the department</u>**

Department of Horticulture has 94 Nos of PCDO&10NOs of Fruit Nurseries in the state at present .The district wise numbers & name of PCDOs are given at

(Annexure-I.)

2 Compilation of demand and availability of rainy & winter season fruit plants in Departmental nurseries & private nurseries of the state, procurement from outside the state in case of shortfall and allotment of these plants to the district level officers for further distribution to the growers. Approval of Sale rates of rainy & winter season fruit plants. The copy of sale rates of Rainy season fruit plants is enclosed at **(Annexure II).**The sale rates of winter season fruit plants shall be submitted for uploading in the website as soon as it is finalized in coming winter season.

3 **Import of elite plant material from other countries.**

The year wise detail of fruit plants imported from outside the country during the previous years is given at **(Annexure III).**

4 Grant of registration certificate for import of flower seed & plant material.

(Performa for Registration and Formalities to be completed by farmer at **Annexura IV**)

5 Grant of Technical approval for training to farmer in Mushroom cultivation

Through departmental Mushroom units in the state.

6 Correspondence of Panchayati Raj Institution at the directorate level.

7 Implementation of Right to information Act 2005.

Annexure I

The list of No's of Progeny Cum demonstration Orchards & fruit nursery of the Department of Horticulture is as follows:

S.N. Name of District Name of PCDO

1 Shimla 1 Anu

2 Dhalli

3 Duttnagar

4 Sarahan(Rampur)

5 Bahali

6 Gopalpur

7 Chopal

8 Bamta(Chopal)

9 Rajhana(New Shimla)

10 Baragaon(Kumarsain)

11 Kumarsain

12 Parala

13 Dodra –Kawar

14 Khadrala

15 Suni

2 Solan 1 Chail

2 Gaura

3 PattaMahlog

4 Dhang

5 Arki

6 Darlaghat

7 Baga (Fruit Nursery)

8 Khatnali (Fruit Nursery)

3 Sirmour 1 Kawagdhar

2 Dhaulakuan(PaontaSahib)

3 Jubbal Chandesh

4 Rajgarh

5 Charna

6 Nauradhar

7 Shirumaila

8 Tindi

		9	Andheri
		10	Bagthan
		11	Reetab Pal
		12	Daro Doeriya(Fruit Nursery)
4	Bilaspur	1	Baroha
		2	Guru Ka Lahaur
		3	Saloha
		4	Nihal
		5	Nihari
5	Hamirpur	1	Badiyana
		2	Bhumpal
		3	Deothsidh(Fruit Nursery)
		4	Deoth(Fruit Nursery)
6	Una	1	Saloh
7	Kangra	1	Multhan
		2	Jach
		3	Shahpur
		4	Palampur
		5	Indpur
		6	Baba Broh
		7	Ghumar
	Chamba	1	Ulansa
		2	Rajpura
		3	Sarol
		4	Bhanota(Fruit Nursery)

		5	Kilod
		6	Kee Nala(Fruit Nursery)
		7	Naila
		8	Dharbas
		9	Thulel(Fruit Nursery)
		10	Killar
		11	Chowari (Fruit Nursery)
		12	Langi(Olive Development Station)
		13	Tipri
9	Kinnaur	1	Boktu
		2	Kilba
		3	Ribba
		4	Spillo
		5	Giabung
		6	Pooh
		7	Sangla
		8	Bhaba
		9	Nichar
10	Lahaul& Spiti	1	Tabo
		2	Thirot
		3	Tindi
11	Mandi	1	Samrahan

	2	Jhanjehli	
	3	Jhamar	
	4	Pingla	
	5	Harabag	
	6	Pangna	
	7	Nalhas	
	8	Jarol	
	9	Bhangrotu	
	10	Madhan	
	11	Nagwain	
12	Kullu	1	Bajaura
	2	Baragarh	
	3	Banjar	
	4	Chawai	
	5	Lugribhatti	
	6	Seobag	
	7	Nirmand	

ADVISORY SERVICE ON FRUIT PLANT NUTRITION TO FRUIT GROWERS OF HIMACHAL PRADESH

INTRODUCTION

Department of Horticulture Himachal Pradesh is implementing a scheme “Advisory Service on Fruit Plant Nutrition to Fruit Growers of Himachal Pradesh", since 1974. The scheme is based on Tissue/Leaf Analysis Technique under which leaf/plant tissues samples from the orchards of the farmers are collected at specific time adopting set methodology. The samples are then processed and chemically analyzed to ascertain the status of various Macro and Micronutrients in the orchard. The results are then compared with established standard values or sufficiency norms and there after balanced and judicious doses of various nutrients/ chemical fertilizers are worked out and recommended to the concerned farmer. The farmers are advised to adopt the fertilizer recommendations made on the basis of leaf/tissue analysis technique. Thus the farmers obtain higher yields of good quality fruits for longer period from their orchards at low cost of production.

OBJECTIVES:

The main thrust areas of this scheme are:-

1. To assess the nutritional status of commercially important fruit crops through leaf analysis technique.

2. To formulate and stabilize fertilizers schedules of fruit crops.

3. To provide advisory services on fruit plant nutrition to fruit growers of the state.

4. To establish new fruit plant nutrition laboratories equipped with latest and advance equipments for leaf analysis, in different areas of the state.

PRESENT INFRASTRUCTURE:

At present three fruit plant nutrition laboratories are working in the state. These laboratories have been established at following locations.

1 Fruit Plant Nutrition Laboratory Shimla at Naubahar.

2 Fruit Plant Nutrition Laboratory Dharamshala, District Kangra.

3 Fruit Plant Nutrition Laboratory Kullu at Bajaura.

In order to provide leaf analysis service to the farmers of Tribal areas of the state the department of horticulture has established two leaf sample Drying cum Grinding units. These units are located at Recong Peo in District Kinnaur and Bharmour in District Chamba.

ANALYSIS FACILITIES AVAILABLE:

A Fruit Plant Nutrition Laboratories are well equipped to analyze leaf samples for Nitrogen, Phosphorus, Potassium, Calcium, Magnesium, Iron, Manganese, Copper and Zinc.

B Drying cum Grinding Units have the facilities for receiving and processing of leaf samples for analysis. Analysis of the processed samples is carried out in the Fruit plant Nutrition Laboratories.